



कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 24.8.2024 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण संख्या : F8(102) DRn.2024

1	खसरा नं० व ग्राम का नाम	2820 से 2822, 3452/2823, 2824, 2825, 2839, 2840, 2841, 2844, 2849, 2850 एवं 2883, राजस्व ग्राम कलडवास			
2	कुल क्षेत्रफल	11.3800 हेक्टर			
3	प्रस्तुत ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण।	RESIDENTIAL SCHEME (PLOTS)			
	RESIDENTIAL SCHEME (PLOTS)	ROAD	INSTITUTIONAL ALLOTTED PLOTS AREA	EWS/LIG PLOTS AREA	COMMERCIAL
	1,82030.90 वर्गफीट 414.86 प्रतिशत	5,56,148.82 वर्गफीट 45.42 प्रतिशत	1,22,695.63 वर्गफीट 10.02 प्रतिशत	~~102604.61~~ वर्गफीट ~~2.37~~ प्रतिशत	13100.94 वर्गफीट 01.07 प्रतिशत
	FOOTPATH	PARKING	RESERVED FOR FACILITY	PARK	TOTAL AREA
	5870.65 वर्गफीट 00.48 प्रतिशत	8755.19 वर्गफीट 00.72 प्रतिशत	113088.03 वर्गफीट 09.24 प्रतिशत	125727.04 वर्गफीट 10.26 प्रतिशत	1224488.00 वर्गफीट 100.00 प्रतिशत
4	विवरण	प्राधिकरण के स्वामित्व की राजस्व ग्राम कलडवास के खसरा संख्या 2820 से 2822, 3452/2823, 2824, 2825, 2839, 2840, 2841, 2844, 2849, 2850 एवं 2883 में कुल रकबा लगभग 11.3800 हेक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान-2031 अनुसार आवासीय प्रस्तावित हैं। मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग आवासीय होने से आवासीय योजना प्रस्तावित की गयी थी जिस हेतु पहुंच मार्ग 80' उपलब्ध हैं। आवासीय योजना का मानचित्र राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2010 के प्रावधानानुसार तैयार किया गया था। प्रकरण न्यास की सामान्य बैठक दिनांक 12-04-2023 में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पर योजना स्वीकृत करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये, जिसके क्रम में न्यास पत्रांक F.7()PLAN/2023/1513 दिनांक : 07-08-2023 द्वारा उक्त योजना को धारा 32(1) के तहत अधिसूचित किये जाने बाबत श्रीमान् शासन उप सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान - जयपुर को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 14-02-2024 (राजकाज संदर्भ संख्या 5643300) द्वारा प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार वर्तमान में प्राधिकरण का गठन हो जाने के कारण, प्रकरण का उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर ही की जानी है। प्रस्तावित योजना में सुविधा क्षेत्र, पार्क एवं पूर्व के आवंटित भूखण्डों को यथावत रखते हुए कुछ बड़े भूखण्डों के स्थान पर छोटे भूखण्ड के रूप में आंशिक संशोधन प्रस्तावित करते हुए प्रकरण, उदयपुर			

		विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 26 के तहत योजना के क्रियान्वन बाबत, प्रकरण प्राधिकरण की सामान्य बैठक दिनांक 26-06-2024 में प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा सर्व-सम्मति से निर्णित किया गया कि प्रश्नगत योजना की भूमि पर आवासीय योजना प्रस्तावित करने तथा प्रस्तावित योजना में सुविधा क्षेत्र, पार्क एवं पूर्व के आवंटित भूखण्डों को यथावत रखते हुए कुछ बड़े भूखण्डों के स्थान पर छोटे भूखण्ड के रूप में आंशिक संशोधन का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया एवं योजना की क्रियान्विति करने बाबत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित शाखा को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय के क्रम में प्रकरण में संशोधित मानचित्र अनुमोदित किया जाना है। प्रकरण में सभी सम्बन्धित शाखाओं यथा अवाप्ति, विधि, ड्राईंग, तहसील, राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पत्रावली पर प्राप्त की जा चुकी है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।
5	अन्य बिन्दु	(1) सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 80', 60', 40' एवं 30' फीट रखा जाना अपेक्षित है। (2) भूखण्ड/भूखण्डों का डिमार्केशन, क्षेत्रफल आदि की गणना मौके से की जानी अपेक्षित हैं। (3) अनुमोदित प्लान में दर्शित प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार आपसी लिंक/एलाईनमेन्ट का भौतिक रूप से सत्यापन मौके से किया जाना अपेक्षित है। (4) भूखण्ड/भूखण्डों का डिमार्केशन, क्षेत्रफल आदि की गणना मौके से की जानी अपेक्षित हैं।

पटवारी / राजस्व निरीक्षक

वरिष्ठ प्रारूपकार / नगर नियोजन सहायक

निर्णय : प्रस्तावानुसार समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति किए जाने की शर्त पर संलग्न सामान्य शर्तों के दृष्टिगत, तकनीकी रूप से आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों का संशोधित योजना / ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

24/8/24

उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

24/8/24

वरिष्ठ नगर नियोजक
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

आयुक्त एवं सचिव
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

